जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-02.05.2025**

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

ज्ञात हो कि दिनांक 27.04.2025 को नौशाद पुत्र जीजू निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली पर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर घर में घुसकर, गाली गलौच कर जानलेवा हमला किया गया था। घटना के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । उपरोक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली ने अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 02.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर घर में घुसकर, गाली गलौच कर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.अब्बास उर्फ बासा पुत्र लिसा उर्फ अलीहसन निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।

2.मोसिम पुत्र अब्बास उर्फ बासा निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।

<u>साइबर ठगी के शिकार पीडित के साइबर क्राइम थाना शामली पुलिस द्वारा ठगी के 2,29,488/- रुपये वापस कराये गये।</u>

ज्ञात हो वादी श्री आकाश निर्वाल पुत्र स्व0 श्री जितेन्द्र निर्वाल निवासी निकट किसान धर्मशाला, रेलपार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली से अज्ञात व्यक्ति द्वारा वर्क फ्रॉम होम के नाम पर पैसे की ठगी कर ली गयी थी। वादी की तहरीर के आधार पर साइबर क्राइम थाना शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के निर्देशन में साइबर क्राइम थाना शामली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए ठगी गई धनराशि 2,29,488/- रुपये होल्ड व फ्रीज कराये गये। साइबर क्राइम थाना शामली द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुये वादी के कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक खाता में ठगी की गयी धनराशि 2,29,488/- रुपये में वापस करायी गयी। श्री आकाश निर्वाल द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक शामली, एवं साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया है।

थाना कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 02.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.कम्बर पुत्र कमर निवासी मौहल्ला सादात पट्टी ग्राम गंगेरु थाना कांधला जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 1993 में अभियुक्त गोपी पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम सैदपुरी थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 180/1993 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 02.05.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.- वर्ष 2013 मे अभियुक्त अनिश पुत्र अजमुदीन निवासी ग्राम भैंसवाल थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 581/2013 धारा 332/434 भादवि व 26 वन अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम मे आज दिनांक 02.05.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा दोषी पाते हुये 5,00/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI